

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

आदेश

श्री कालूराम बैरवा व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि रहलाना, जयपुर द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र, गजट दिनांक जुलाई 19, 2018 भाग 07 की प्रति पेज सं. 1154 (नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों) के आधार पर उनके पूर्व नाम श्री कालूराम बैरवा के नाम के स्थान पर इनका नाम "आदित्य नागर" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतः भविष्य में श्री कालूराम बैरवा व्याख्याता राजनीति विज्ञान से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम आदित्य नागर से संबोधित/ जारी किये जावे।

(नन्दमल डिडेल)

IAS

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:— 12/10/18

क्रमांक:— शिविरा/मा/संस्था-6/रावि/नाम परिवर्तन/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा,
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा.....
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेत
4. संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. रक्षित पत्रावली

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर